

प्रेषक: एन० सचिव
सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,
मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 25-11-2003

विषय : लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण के नियमों में संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री रा.गंगाल महोदय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 2365 एमएस/23-पी०डब्ल्यू-41एम०एस०/1954 दिनांक 24.08.1982 द्वारा प्रख्यापित नियमावली 1982 के अपेन्डिक्स 'ए', 'बी', 'ई' तथा 'एच' एवं शासनादेश संख्या 235/2002 लोक निर्माण अनुभाग-1 दिनांक 11.06.02 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

वर्तमान अपेन्डिक्स "ए"
(नियम-2-1)

संशोधित अपेन्डिक्स "ए"
(नियम-2-1)

किसी श्रेणी विशेष में पंजीकृत ठेकेदार निम्न तालिका में अंकित कार्य सीमा से अनधिक को निविदा देने के लिए अधिकृत होंगे :- किसी श्रेणी विशेष में पंजीकृत ठेकेदार निम्न तालिका में अंकित कार्य सीमा से अनधिक को निविदा देने के लिए अधिकृत होंगे :-

वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'	वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1. (1) भवन	असीमित	₹ 18.00 लाख	₹ 8.00 लाख	₹ 5.00 लाख	1. (1) भवन	असीमित	₹ 40.00 लाख	₹ 25.00 लाख	₹ 15.00 लाख
(2) सेतु	असीमित	₹ 18.00 लाख	₹ 8.00 लाख	₹ 5.00 लाख	(2) सेतु	असीमित	₹ 40.00 लाख	₹ 25.00 लाख	₹ 15.00 लाख
(3) मार्ग	असीमित	₹ 18.00 लाख	₹ 8.00 लाख	₹ 5.00 लाख	(3) मार्ग	असीमित	₹ 40.00 लाख	₹ 25.00 लाख	₹ 15.00 लाख
2. सेनेटरी एवं वाटर सप्लाय	असीमित	₹ 0.50 लाख	₹ 0.10 लाख	2. सेनेटरी एवं वाटर सप्लाय	असीमित	₹ 2.50 लाख	₹ 1.00 लाख	₹ 0.25 लाख
3. विद्युत कार्य	असीमित	₹ 1.00 लाख	₹ 0.20 लाख	3. विद्युत कार्य	असीमित	₹ 2.00 लाख	₹ 1.00 लाख	₹ 0.50 लाख
4. यांत्रिक कार्य	असीमित	₹ 1.00 लाख	₹ 0.20 लाख	₹ 0.05 लाख	4. यांत्रिक कार्य	असीमित	₹ 2.00 लाख	₹ 1.00 लाख	₹ 0.50 लाख

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल
देहरादून

वर्तमान एपेन्डिक्स "बी"
(नियम-4)

संशोधित एपेन्डिक्स "बी"
(नियम -4)

प्रत्येक श्रेणी में पंजीकरण हेतु न्यूनतम आवश्यक हैसियत

प्रत्येक श्रेणी में पंजीकरण हेतु न्यूनतम आवश्यक हैसियत

वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'	वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1. (1) भवन	रु0 3.00 लाख	रु0 2.00 लाख	रु0 1.00 लाख	रु0 0.50 लाख	1. (1) भवन	रु010.00 लाख	रु0 3.00 लाख	रु0 1.00 लाख	रु0 0.50 लाख
(2) सेतु	रु0 3.00 लाख	रु0 2.00 लाख	रु0 1.00 लाख	रु0 0.50 लाख	(2) सेतु	रु010.00 लाख	रु0 3.00 लाख	रु0 1.00 लाख	रु0 0.50 लाख
(3) मार्ग	रु0 3.00 लाख	रु0 2.00 लाख	रु0 1.00 लाख	रु0 0.50 लाख	(3) मार्ग	रु010.00 लाख	रु0 3.00 लाख	रु0 1.00 लाख	रु0 0.50 लाख
2. सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	रु0 0.25 लाख	रु0 0.15 लाख	रु0 0.05 लाख	2. सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	रु0 0.50 लाख	रु0 0.25 लाख	रु0 0.10 लाख	रु0 0.05 लाख
3. विद्युत कार्य	रु0 1.00 लाख	रु0 0.25 लाख	रु0 0.05 लाख	3. विद्युत कार्य	रु0 1.00 लाख	रु0 0.50 लाख	रु0 0.10 लाख	रु0 0.05 लाख
4. यांत्रिक कार्य	रु0 1.00 लाख	रु0 0.25 लाख	रु0 0.05 लाख	4. यांत्रिक कार्य	रु0 1.00 लाख	रु0 0.50 लाख	रु0 0.10 लाख	रु0 0.05 लाख

वर्तमान एपेन्डिक्स "ई"
(नियम-4)

संशोधित एपेन्डिक्स "ई"
(नियम -4)

प्रत्येक श्रेणी में पंजीकरण हेतु तालिका में दर्शाये गये कम से कम पांच कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण किये जाने का अनुभव होना चाहिए।

प्रत्येक श्रेणी में पंजीकरण हेतु तालिका में दर्शाये गये कम से कम पांच कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण किये जाने का अनुभव होना चाहिए।

वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'	वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1. (1) भवन	रु010.00 लाख	रु0 5.00 लाख	रु0 1.00 लाख	रु0 0.25 लाख	1. (1) भवन	रु010.00 लाख	रु0 5.00 लाख	रु0 1.00 लाख	रु0 0.25 लाख
(2) सेतु	रु010.00 लाख	रु0 5.00 लाख	रु0 1.00 लाख	रु0 0.25 लाख	(2) सेतु	रु010.00 लाख	रु0 5.00 लाख	रु0 1.00 लाख	रु0 0.25 लाख
(3) मार्ग	रु010.00 लाख	रु0 5.00 लाख	रु0 1.00 लाख	रु0 0.25 लाख	(3) मार्ग	रु010.00 लाख	रु0 5.00 लाख	रु0 1.00 लाख	रु0 0.25 लाख
2. सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	रु0 0.25 लाख	रु0 0.05 लाख	रु0 0.02 लाख	2. सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	रु0 0.25 लाख	रु0 0.10 लाख	रु0 0.05 लाख
3. विद्युत कार्य	3. विद्युत कार्य
4. यांत्रिक कार्य	रु0 0.25 लाख	रु0 0.05 लाख	रु0 0.02 लाख	4. यांत्रिक कार्य	रु0 0.25 लाख	रु0 0.05 लाख	रु0 0.02 लाख

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

वर्तमान एपेन्डिक्स (जी)

(नियम - 10)

प्रत्येक श्रेणी में पंजीकरण करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी

302
2-12-03

संशोधित एपेन्डिक्स (जी)

(नियम - 10)

प्रत्येक श्रेणी में पंजीकरण करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'	पंजीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
(i) भवन	प्रमुख अभियन्ता या क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता	क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अधिराशी अभियन्ता	(1) भवन	क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता	क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अधिराशी अभियन्ता
(ii) मार्ग	-तदेव-	-तदेव-	-तदेव-	-तदेव-	(ii) मार्ग	-तदेव-	-तदेव-	-तदेव-	-तदेव-
2. सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	-तदेव-	अधीक्षण अभियन्ता	अधिराशी अभियन्ता	-तदेव-	2. सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	-तदेव-	-तदेव-	-तदेव-	-तदेव-
3. विद्युत कार्य	-तदेव-	-तदेव-	-तदेव-	-तदेव-	3. विद्युत कार्य	-तदेव-	-तदेव-	-तदेव-	-तदेव-
यांत्रिक कार्य	-तदेव-	-तदेव-	-तदेव-	अधिराशी अभियन्ता	4. यांत्रिक कार्य	-तदेव-	-तदेव-	-तदेव-	-तदेव-

नियमावली की अन्य समस्त शर्तें पूर्वक्त रहेगी।

भवंदीय
N. Jai Shankar
(एन०रविशंकर)
सचिव

संख्या :- 2504
11/लो०नि०-1/03, तृविनिकि।

- (1) प्रतिलिपि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, गढ़वाल/कुमायू को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- (2) प्रतिलिपि निजी सचिव, मा० मंत्री लोक निर्माण विभाग उत्तरांचल शासन।
- (3) प्रतिलिपि लो०नि०अनु० - 2।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०, उत्तरांचल।

आज्ञा से

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता स्तर
लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल
देहरादून-248 001

टी. के. पन्त
उप सचिव

पत्र संख्या - 2603/8 सा०प्र०-उत्त०/2003 दिनांक 29.11.2003
प्रतिलिपि निम्नातिरिक्त को सूचनाएं देने आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -
1. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र) लो०नि०वि० पौड़ी/अल्मोड़ा।
2. रांगरत अधीक्षण अभियन्ता - वॉ इत्त लो०नि०वि०
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता प्रान्तीय/निर्माण/कुमायू/वि०/मौ०/रपठ।
प्रशासनिक अभियन्ता
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभाग देहरादून
लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल
देहरादून

Handwritten notes on the right side of the page, including a signature and some illegible text.

संशोधित एपेन्डिक्स (एच)
(नियम -13)
(सामान्य जमानती धनराशि)

वर्तमान (रि.)	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'	वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1. (1) मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक -तदेव-	₹0	₹0	₹0	1. (1) भवन	₹0	₹0	₹0	₹0
(2) सेतु	20000/-	7500/-	2500/-	(2) सेतु	100000/-	30000/-	10000/-	5000/-
(3) मार्ग	20000/-	7500/-	2500/-	(3) मार्ग	100000/-	30000/-	10000/-	5000/-
2. सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	₹0	₹0	₹0	2. सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	₹0	₹0	₹0	₹0
3. विपुल कार्य	2000/-	1000/-	500/-	3. विपुल कार्य	5000/-	2000/-	1000/-	500/-
4. यांत्रिक कार्य	20000/-	10000/-	2000/-	4. यांत्रिक कार्य	20000/-	10000/-	2000/-	1000/-

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून